



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 141 वर्ष 2024

डॉ. महेंद्र देव

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

हरि शरण पांडे

.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सुरेश चंद्र वर्मा, गिरीश चंद्र
वर्मा

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रित सिंह

- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित जौहरी और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जीसी वर्मा, जिनकी सहायता श्री केबी पांडे कर रहे थे, की दलीलें सुनीं।
- यह अंतर-अदालती अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 3139/2022 में दिनांक 16.05.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अवमानना न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे को खारिज कर दिया है और साथ ही तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.06.2016 को पारित आदेश के संदर्भ में एक नया अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जो उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के दिनांक 17.05.2016 के निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया था। ऐसा न करने पर, अपीलकर्ता को अवमानना न्यायालय के समक्ष आरोप तय करने के लिए उपस्थित होना आवश्यक था।
- अपीलकर्ता के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि न्यायालय ने विवाद के गुण-दोष में प्रवेश करके और अनुपालन के हलफनामे को खारिज करके तथा नए निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जो अवमानना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि रिट न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता (जो रिट याचिका में प्रतिवादी था) को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपे जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर रिट याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया भुगतान करे।

5. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता महाविद्यालय की 'घा' श्रेणी में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे, इसलिए उनके वेतन की गणना उसी आधार पर की गई है। हालांकि, अवमानना न्यायालय ने दिनांक 17.05.2016 और 27.06.2016 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

6. यह निवेदन किया जाता है कि अवमानना न्यायालय यह पता लगा सकता है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं, लेकिन वह रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दायरे से बाहर निर्देश नहीं दे सकता। अतः, अवमानना न्यायालय के निर्देश विवाद के गुण-दोष पर आधारित थे और ये निर्देश रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

7. प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.सी. वर्मा ने उपरोक्त तर्क का खंडन करते हुए इस अंतर-न्यायालय अपील की वैधता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई है और यह तर्क दिया है कि अवमानना न्यायालय ने न तो मामले का निर्णय किया है और न ही रिट न्यायालय के आदेश के दायरे से बाहर कोई निर्देश दिया है, इसलिए अंतर-न्यायालय अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि इस मामले का निपटारा इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने रिट-ए संख्या 18496/2016 (विद्या धर पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) में पहले ही कर दिया था, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिनांक 14.10.1974 का सरकारी आदेश निरस्त कर दिया गया है और यह भी कहा था कि दिनांक 14.10.1974 के सरकारी आदेश के अनुसार किसी भी संस्कृत संस्थान को चार श्रेणियों में से किसी में भी रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, जिस आधार पर प्रतिवादी याचिकाकर्ता को लाभ देने से इनकार कर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।

9. न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख में मौजूद सामग्री का भी अवलोकन किया।

10. प्रारंभ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांक 16.05.2024 के आदेश के माध्यम से अवमानना न्यायालय ने अनुपालन हलफनामे को केवल यह पाते हुए खारिज कर दिया है कि रिट

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था। अनुपालन का अवसर दिया गया है, जिसके विफल होने पर संबंधित अधिकारी को आरोप तय करने के लिए उपस्थित होना आवश्यक था। ऐसा आदेश किसी भी तरह से विवाद का निपटारा नहीं करता है और न ही इसे विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने वाला आदेश माना जा सकता है। अपीलकर्ता को अवमानना न्यायालय द्वारा पहले ही दी गई अनुमति के अनुसार नया हलफनामा दाखिल करने का अवसर प्राप्त है। यदि किसी कारणवश अपीलकर्ता को लगता है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया गया है, तो इसकी व्याख्या अवमानना न्यायालय को की जा सकती है, जो निःसंदेह संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

11. इस न्यायालय को **सुभाष चंद्र बनाम श्रीकांत गोस्वामी, 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 5435 मामले** में अवमानना कार्यवाही से उत्पन्न आदेश के विरुद्ध विशेष अपील किन परिस्थितियों में दायर की जा सकती है, इस पर विचार करने का अवसर मिला था और उसमें निम्नलिखित सिद्धांतों को नोट किया गया था, जो इस प्रकार हैं:-

69. उपर्युक्त चर्चा का सार, इसमें शामिल कानूनी सिद्धांत और वे परिस्थितियाँ जब न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील की जा सकती है और जब अवमानना क्षेत्राधिकार में पारित आदेश से विशेष अपील की जा सकती है, उन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(A) न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19 (1) का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अवमानना न्यायालय ने अवमानना के लिए दंड देने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया हो। इस प्रावधान का सार ऐसे निर्णयों के विरुद्ध उपाय प्रदान करना है जिनमें न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को दंडित करने के लिए कोई निर्णायक कार्रवाई की हो। इसमें जुर्माना, कारावास या अन्य दंड लगाने वाले आदेश शामिल हैं।

दंडात्मक उपाय सीधे तौर पर अवमाननापूर्ण व्यवहार से संबंधित होते हैं। अंतरिम आदेश, जिनमें अवमानना के लिए दंड का प्रावधान नहीं होता, धारा 19 के दायरे में नहीं आते। ऐसे आदेशों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने, हलफनामे दाखिल करने या अवमानना कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक निर्देश शामिल हो सकते हैं। ये नियमित न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं जो मामले की प्रगति में सहायक होती

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

हैं, लेकिन अवमानना के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं होती। अवमानना कार्यवाही के दौरान पारित नियमित आदेश भी धारा 19 के दायरे से बाहर हैं। ये आदेश आमतौर पर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, जो मूल मामले के मुख्य मुद्दों या अवमानना के गुण-दोष पर विचार किए बिना कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं।

(B) मामले का मूल बिंदु अवमानना कार्यवाही के संदर्भ में "योग्यता" की सूक्ष्म व्याख्या में निहित है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मामले में संदर्भित किया है। "योग्यता" शब्द को किसी निश्चित सूत्र में परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इसकी विभिन्न व्याख्याएँ होती हैं। हालांकि, निर्णयों का समग्र अध्ययन कई प्रमुख पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करता है। मिदनापुर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवमानना कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना या फैसला करना अनुचित है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवमानना कार्यवाही मूल विवाद में शामिल पक्षों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और अधिकार को बनाए रखना है, न कि अंतर्निहित विवाद का समाधान करना। इस संदर्भ में "योग्यता" शब्द मूल मामले के उन मौलिक मुद्दों को संदर्भित करता है जिनके कारण अवमानना हुई। कार्यवाही। इसमें मूल मुकदमे में विवादित या वर्तमान में विवादित मुख्य कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं।

(C) अवमानना मामलों में एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश या निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील मूल विवाद के गुण-दोष और अवमानना गठित करने वाले आचरण के बीच अंतर पर निर्भर करती है। अवमानना न्यायालय का प्राथमिक दायित्व यह निर्धारित करना है कि अवमानना हुई है या नहीं और यदि हुई है तो उचित दंड लगाना है। मूल विवाद के गुण-दोष अवमानना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। हालांकि, जब अवमानना न्यायालय मूल विवाद के गुण-दोष पर निर्देश जारी करता है या चर्चा करता है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय में विशेष अपील की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि अवमानना

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कार्यवाही के सीमित दायरे में मूल महत्वपूर्ण मुद्दों का अनजाने में निर्णय न हो जाए, जिससे विवाद के निष्पक्ष निपटारे के लिए पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

(D) प्रत्येक मामले की व्याख्या उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। न्यायालयों को अवमानना कार्यवाही के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित आदेशों और मूल मामले के सारगर्भित मुद्दों पर अतिक्रमण करने वाले आदेशों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए। यह अंतर अवमानना क्षेत्राधिकार की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि 1971 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलें उचित हों।

यह उचित रूप से केवल उन मामलों तक सीमित है जहां अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गई है।"

12. उपरोक्त सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए, न्यायालय पाता है कि चुनौती दिए गए आदेश में वे तत्व मौजूद नहीं हैं जो अवमानना न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश में आवश्यक होते हैं जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है।

13. इसलिए, उपरोक्त कारणों से, अंतर-अदालती अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.)

16 फरवरी, 2026

अंक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"